भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4370
उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज

4370. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा नेटवर्क कवरेज विहीन ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है:

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सर्वेक्षण में पंचायतों को शामिल किया गया है;

(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर और इंटरनेट सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त उद्देश्य के लिए कोई समयबद्ध योजना और बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) सरकार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, ग्राम पंचायतों सहित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज का आकलन करती है। सेवा से वंचित गांवों की मोबाइल कवरेज की स्थिति की पुष्टि के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद, इस सेवा से वंचित गांवों को डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी योजनाओं के तहत कवर किया जाता है। जनवरी 2026 तक, देश के कुल 6,44,131 गांवों में से (भारत के महापंजीयक के आंकड़ों के अनुसार), 6,35,146 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किए जा चुके हैं।

बसे हुए सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल कवरेज दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। सरकार ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के वित्तपोषण से, देश के सेवा से वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाकर दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं को अनुमोदित किया है। 28.02.2026 तक, डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्तपोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के माध्यम से देश भर के 32,455 गांवों/स्थानों पर 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

(घ) और (ङ): सरकार ने कम सेवा वाले ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और उनकी प्रदायगी को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के तहत बजटीय प्रावधान किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इस उद्देश्य के लिए डीबीएन के तहत ₹9,650 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।
